

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रमोद कुमार पुत्र राम किशोर निरो कूक नगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-75/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घनश्याम पुत्र जिया राम निरो खिरवा मौजा खिरई थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-123/21, 02. सुरेन्द्र पुत्र घनश्याम निरो खिरवा मौजा खिरई थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-124/21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव मंगल पुत्र राम अचल, 02. सुनील पुत्र रामू निवासीगण खटिकन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15-15 लीटो अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-197/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.06.2021

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचों के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों—01. राजेश, 02. जवाहरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राजेश के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त जवाहरलाल के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजेश पुत्र मनोहर नि० ग्राम पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. जवाहरलाल पुत्र परमेश्वर प्रसाद नि० ग्राम पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—191/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—192/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० लाल साहब मय टीम।
02. उ०नि० दुर्गेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.06.2021

बलवा कर जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफतार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 09.05.2021 को थाना को० नगर क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा व मारपीट हुआ था जिसमें एक पक्ष द्वारा जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया था। जिसमें को० नगर पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त मुकुल चन्द्र यादव को आज दिनांक 10.06.2021 को मिश्रौलिया कॉसिंग के पास से गिरफतार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफतार अभियुक्तः—

01. मुकुल चन्द्र यादव दत्तक पुत्र प्रेमशंकर नि० पोर्टरगंज पथवलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—३२८/२१, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 188, 120 बी भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीम—

उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.06.2021

जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने मु०अ०सं०— 599 / 20, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों—०१. तालुक दार, ०२. विधा कहार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी मो० शाहिद पुत्र सादिक नि० मलियन डेहली जेट थाना को० नगर जनपद अलीगढ़ की फर्जी वसीयत तैयार कराकर कौड़िया धर्मपुर स्थित जमीन का बैनामा करा लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

०१. तालुक दार पुत्र सूर्यबक्ष नि० धर्मपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
०२. विधा कहार पुत्र रामकिशुन नि० धर्मपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०—५९९ / २०, धारा ४१९,४२०,४६७,४६८,४७१ भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

०१. उ०नि० चन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.06.2021

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफतार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने मु०अ०सं०—५३९/२०, धारा ३२३,५०४,५०६,३२७ भादवि व ३(१) द,ध एस०सी०एस०टी० एकट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अखिलेश वर्मा को गिरफतार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफतार अभियुक्त—

०१. अखिलेश वर्मा पुत्र अवधेश कुमार वर्मा नि० पकड़ी कैशवार थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०—५३९/२०, धारा ३२३.५०४.५०६.३२७ भादवि व ३(१) द,ध एस०सी०एस०टी० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीम—

उ०नि० कामेश्वर राय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.06.2021

बलवा कर मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मु०अ०सं०-१०८/२१, धारा १४७,१४८,३२३,३०८ भादवि से सम्बन्धित ०२ वांछित अभियुक्तो— ०१. वृक्षराज, ०२. रामधन को मुख्खियर खास की सूचना पर परसा सोहसा पानी टंकी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी अनिल कुमार वर्मा पुत्र दिलीप कुमार वर्मा नि० परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा को बिजली के कनेक्शन की बात को लेकर बलवा करते हुए मारा—पीटा था। जिससे वादी मौके पर ही बेहोश हो गया था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

०१. वृक्षराज पुत्र विजयनाथ नि० परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
०२. रामधन पुत्र शियाराम नि० परसा सोहसा झिंगुर पुरवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०-१०८/२१, धारा १४७,१४८,३२३,३०८ भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० कामेश्वर राम मय टीम।